

उल्लंघन पत्र/स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या गुज/पोर/चू.प-322 Mine code 38GUJ21101 ID दिनांक:

सेवा में : श्री मिरखीभाई जेठाभाई वंदा
रोघडा, तालुका- कुतियाना
जिला- पोरबंदर- 362 650 (गुज)

e mail – merkhijeta@gmail.com

विषय: गुजरात राज्य के जिले- पोरबंदर की तालुका- कुतियाना में निकट ग्राम- रोघडा स्थित आपकी रोघडा चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 4.0 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.12.2024 को श्री निलेशभाई, प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)MP-412(285)/2022-23MDRD(N) GNR, दिनांक 27.07.2022 के द्वारा अनुमोदित रिच्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- १) अनुमोदित रिच्यू खनन योजना के बिन्दु संख्या- 6.2.3.2 के अनुसार अनुसार वर्ष 2023-24 में किए गए वृक्षारोपण की Survival rate 80% रखे जाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय Survival rate 25% ही पायी गयी।
28(1)	खान पर खनन तथा Mineral processing operations अस्थाई रूप से 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बंद किए गए हैं किंतु नियमानुसार इसकी सूचना प्रपत्र- E में राज्य सरकार तथा इस कार्यालय को नहीं दी गयी है।

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं

स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by Manish Gupta
(मनीष गुप्ता)
Date: 28-02-2025 10:37:06

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि-

१. खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न.- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए लेख है कि निरीक्षण के समय सीमा स्तंभ आंशिक ही पाये गए।
३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो